यह निरीक्षण प्रतिवेदन **मंडलीय सेनानायक, होमगार्ड्स, हल्द्वानी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

मंडलीय सेनानायक, होमगार्ड्स, हल्द्वानी के 8/13 से 7/18 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री ललित थपलियाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री पवन कोठारी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री शैलेंद्र कुमार पांडेय, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 11.08.2018 से 18.08.2018 तक श्री नीरज च्रंगू, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

भाग-प्रथम

1- **<u>परिचयात्मक</u>-** इस कार्यालय की विगत लेखापरीक्षा श्री राम सनेही, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी श्री टी. एस. नेगी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, एवं श्री विजय कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा 21.08.2013 से 27.08.2013 तक सम्पन्न की गयी थी, जिसमे माह 07/2005 से 07/2013 तक के अभिलेखों की जांच की गयी।

वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 08/2013 से 07/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र-कुमाऊँ क्षेत्र

(ii)(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः-

(रू लाख में)

	प्रारम्भिकअवशेष		स्थापना		गैरस्थापना		आधिक्य(+)	बचत(-)
	स्थापना	गैरस्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2015-16	-	-	17.70	17.37	3.62	3.18	-	0.77
2016-17	-	-	21.44	18.63	5.91	4.68	-	4.04
2017-18	-	-	18.39	17.67	3.88	3.79	-	0.81
2018-19 (07/2018 तक)	-	-	22.50	7.45	3.05	1.32	-	-

(ब) Autonomous Bodies विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थितिः निरंक।

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण शून्य है।

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुये इकाई "सी"श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः

मंडलीय सेनानायक
जिला कमांडेंट
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
वैतनिक निरीक्षक

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **मंडलीय सेनानायक, होमगार्ड्स, हल्द्वानी** की लेखापरीक्षा में लेन-देन-कम-अनुपाल को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **मंडलीय सेनानायक, होमगार्ड्स, हल्द्वानी** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 5/14, 2/17**,** 7/17 एवं 5/18 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971(डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13 एवं 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-II 'अ'

प्रस्तर :---------- शून्य ------------------

<u>भाग-II 'ब'</u>

<u>प्रस्तर:1</u>- अधीनस्थ कार्यालयो के निरीक्षण के उपरान्त दिये गये दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित न करवाना।

होम गार्ड्स मैनुअल के अनुसार मण्डलीय कमांण्डेन्ट होम गार्ड्स अपने मण्डल के अधीन कार्यरत जिला कमांण्डेन्ट होमगार्ड्स/जिला प्रशिक्षण केन्द्र के कार्यो की समीक्षा तथा अपने मण्डल कार्यालयो का उत्तरदायित्व, सुपरविजन व निरीक्षण का दायित्व है।

कार्यालय के अभिलेखो व निरीक्षण पत्रावली के जांच मे पाया गया कि जिला कमांण्डेन्ट होमगार्ड्स, अल्मोड़ा व पिथोरागढ़ के कार्यो का निरीक्षण मण्डलीय कमांण्डेन्ट द्वारा 15/3/2018 व 13/3/2018 को किया गया था। उक्त के सम्बंध मे निर्गत निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार निम्न तथ्य प्रकाश मे आये:

i. अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ के कार्यो का निरीक्षण पूर्व उच्चाधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण (मार्च/2016) के अनुपालन सबंधी कार्यवाही आतिथि तक सुनिश्चित नहीं की गयी थी।
ii. पदनाम विशेष कार्याधिकारी का अतिरिक्त पद जिला कमांण्डेन्ट होमगार्ड्स, अल्मोड़ा द्वारा सृजित किया गया था जिसकी स्वीकृति के कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं थे तथा उक्त पद पर जिला प्रेशिक्षण केन्द्र, हल्द्वानी के कर्मचारी से कार्य लिया जा रहा था।
iii. जिला कमांण्डेन्ट होमगार्ड्स, अल्मोड़ा मे प्रशिक्षण रजिस्टर नहीं बनाया गया था।
iv. जिला कमांण्डेन्ट होमगार्ड्स, अल्मोड़ा द्वारा विगत वर्षो मे कार्यालय सम्बन्धी निरीक्षण की कार्यवाही नहीं की गयी थी।
v. जिला कमांण्डेन्ट होमगार्ड्स, अल्मोड़ा मे कुछ होम गार्ड्स के मेडिकल/पुलिस verification/जन्म तिथि सम्बन्धी कार्यवाही अपूर्ण थी।
vi. जिला कमांण्डेन्ट होमगार्ड्स,पिथौरागढ़ के कार्यालय मे लगी फोटो स्टेट मशीन एवं प्रिंटर खराब पाये गए थे।
vii. जिला कमांण्डेन्ट होमगार्ड्स,पिथौरागढ़ द्वारा कार्यालय महालेखाकार उत्तराखंड देहरादून द्वारा 2015-16 के प्रतिवेदन मे सम्मिलित आपत्तियो का निराकरण आतिथि तक नहीं किया गया था।

उपरोक्त के सम्बंध मे मण्डलीय अधिकारियों द्वारा इन उल्लेखित आपत्तियो के निराकरण हेतु एक माह का समय उक्त कार्यालयो को दिया गया था लेकिन मण्डल निरीक्षण पत्रावली मे पाया गया कि इस सम्बंध मे जिला कमांण्डेन्ट होमगार्ड्स, अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ द्वारा न ही कोई आख्या प्रस्तुत की गयी और नही कोई कार्यवाही सुनिश्चित की गयी थी। इस सम्बंध मे यह भी पाया गया कि मण्डलीय कार्यालय द्वारा आख्या प्रस्तुत करने हेतु कोई अनुस्मारक भी आतिथि तक नहीं भेजा गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इकाई का ध्यान इस ओर आकृष्ट किए जाने पर कार्यालय द्वारा बताया गया कि इस संबंध में कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। इकाई का उत्तर स्वतः ही लेखापरीक्षा बिन्दु की पुष्टि करता है कि जिला कमांण्डेन्ट होमगार्ड्स, अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ द्वारा पूर्व मण्डलीय

उच्चाधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण (मार्च/ 2016) के अनुपालन सबंधी कार्यवाही आतिथि तक सुनिश्चित नहीं की गयी थी जो नियमो के विरुद्ध व मण्डलीय कार्यालय की कार्यप्रणाली मे शिथिलता को दर्शाता है।

अतः अधीनस्थ कार्यालयो के निरीक्षण के उपरान्त दिये गये दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित न करने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

STAN

<u>प्रस्तर:1-</u> GVR की कटौती न किया जाना ₹ 3000।

उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या 84/xxvii(7)50(06)/2017 दिनांक 7/6/2017 के अनुसार प्रत्येक अधिकारी जिन्हे वाहन आवंटित है, को 200 km प्रतिमाह तक वाहन का निजी प्रयोग करने पर राजकीय कोष मे प्रतिमाह प्रतिवाहन के आधार पर कार के लिए ₹ 500 तथा जीप के लिए ₹ 400 जमा किया जाना सुनिश्चित किया गया था। राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उक्त आदेश के अंतर्गत राजकीय कोष मे जमा किए जाने वाले प्रतिमाह प्रतिवाहन की वर्तमान राशि मे वृद्धि करते हुए 1/5/2017 से प्रत्येक वाहन हेतु ₹ 2000 प्रतिमाह की राशि निश्चित कर दी जाए।

वेतन बिल पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि श्रीमती प्रतिमा, मंडलीय सेनानायक के वेतन से मई एवं जून 2017 में ₹ 2000 के स्थान पर ₹ 500 की दर से GVR की कटौती की गयी है, जिसके परिणामस्वरूप श्रीमती प्रतिमा के वेतन से ₹ 3000 कम की कटौती की गयी है।

लेखापरीक्षा द्वारा ईकाई का ध्यान इस ओर आकृष्ट किए जाने पर उत्तर दिया गया कि कटौती कर लेखापरीक्षा को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**भाग-2 'अ' प्रस्तर संख्या**	**भाग-2 'ब' प्रस्तर संख्या**	**STAN**
सा.क्षे./ले.प.प्रति.-16/2013-14	-	-	

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः- **शून्य**

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्यः-शून्य

भाग-V

आभार

1- कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **मंडलीय सेनानायक, होमगार्ड्स, हल्द्वानी** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

तथापि लेखापरीक्षा **में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः- शून्य**

2- सतत् अनियमिततायेः- शून्य

3- लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष आहरण वितरण अधिकारी का कार्यभार वहन किया गया-

क्र.सं.	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**	
			कब से	**कब तक**
1	श्री अमिताभ श्रीवास्तव	मंडलीय कमांडेंट	15/4/11	12/12/16
2	श्रीमती प्रतिमा	मंडलीय कमांडेंट	12/12/16	13/6/18
3	श्री ललित मोहन जोशी	मंडलीय कमांडेंट	28/6/18	वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **मंडलीय सेनानायक, होमगार्ड्स, हल्द्वानी** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार/सामान्य क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाय।

लेखापरीक्षा अधिकारी
सामान्य क्षेत्र